वादी प्रपत्र में लाई जाती है। वकील वादी को रनापन पेश करने की इच्छा जताई जाकर पत्रावली दि. 21/10/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

21/10/21 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प हरनावां पट्टी में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश किया जो शा० मि० किया गया। प्रार्थीनी को सुना गया। प्रार्थीनी ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बरनेल के ख० नं० 241, रकबा 0.32 हैक्टयर भूमि वर्षों पूर्व क्रय की थी जिस वक्त रजिस्ट्री के साथ कोई दस्तावेज नहीं लगता था जिससे घर पर परिवार में प्यार से बोलता नाम बिदामी देवी लिखवा दिया गया था जिससे राजस्व रिकार्ड में आज भी नाम बिदामी देवी दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थीनी के

मैनादेवी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

फर्द अहकाम

अन्य सभी दस्तावेजो में नाम मैनादेवी दर्ज है जिससे प्रार्थीनी को इस भूमि हेतु कोई अनुदान व लोन आदि व लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है प्रार्थीनी विधवा ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है जिसको कानून की स्थिति की जानकारी नही है जिससे आज तक नाम दुरूस्त नहीं हुआ है जिससे यह प्रार्थना-पत्र पेश कर राजस्व रिकार्ड में बिदामी देवी पत्नी शंकरराम के स्थान पर मैनादेवी पत्नी शंकरराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

अप्रार्थीगण राजपैरोकार ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी के दस्तावेजातो, व ग्राम के उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा बताये अनुसार बिदामी देवी व मैनादेवी पत्नी शंकरराम दोनों नाम की एक ही औरत प्रार्थीनी है जबाब पेश कर खसरा नम्बर 2511 में दर्ज बिदामीदेवी पत्नी शंकरराम के स्थान पर मैनादेवी पत्नी शंकरराम दर्ज किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीनी के अन्य सभी दस्तावेज मूल मंगवा कर अवलोकन किया गया जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जोब कार्ड एवं बैंक पासबुक व विधवा पेंशन पीपीओ सभी में मैनादेवी पत्नी शंकरराम दर्ज है। प्रशासन गांवो के संग अभियान में उपस्थित ग्राम के मौजीज व्यक्तियो ने भी प्रार्थीनी का सही नाम मैनादेवी होना बताया है राजपैरोकार तहसीलदार ने भी अपने जबाब में प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होना बताया है। जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प हरनावां पट्टी में स्वीकार किया जाकर ग्राम बरनेल के ख०न० 2511 रकबा 0.32 हैक्टयर भूमि में दर्ज बिदामीदेवी पत्नी शंकरराम के स्थान पर मैनादेवी पत्नी शंकरराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो यह आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प हरनांवा में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (नागौर)